

57
57
57

तारीख हुकम

19/12/19

पत्रावली देव प्रति कालात्र उप /
परिचारी
दोस्त
पत्रावली देव प्रति कालात्र उप /
परिचारी
दोस्त
पत्रावली देव प्रति कालात्र उप /
परिचारी
दोस्त

27/12/19

पत्रावली देव प्रति कालात्र उप /
परिचारी
दोस्त
पत्रावली देव प्रति कालात्र उप /
परिचारी
दोस्त

31/1/20

पत्रावली देव प्रति कालात्र उप /
परिचारी
दोस्त
पत्रावली देव प्रति कालात्र उप /
परिचारी
दोस्त


3/2/20

पत्रावली देव प्रति कालात्र उप /
परिचारी
दोस्त
पत्रावली देव प्रति कालात्र उप /
परिचारी
दोस्त

दिस में हे तथा कानून सह खातेदान 25/27
 दिस में के कृषक के स्वामी ही हलगत
 वाद पर स्थायी निधिधारता का है।
 कानून सह खातेदान के विरुद्ध
 स्थायी निधिधारता का वाद पर दापर
 नहीं किया जा सकता है अतः शारीर
 फरमाना जावे।

वकील वादीगण / (अपवापीगण) ने
 ने प्राप्तिगण (प्रतिवादीगण) के अधिकारों
 के तर्कों का खण्डन करते हुए कहा
 कि प्राप्तिगण द्वारा सह खातेदान
 को शून्य के मजायाम में देना नहीं हो सकता
 नतीजतन लुचोखा नहीं है तथा डिमिट
 कानून पर खड़ा नहीं है अतः शारीर
 फरमाना जावे।

इसने एक कानून पक्षपालन सुमी तथा
 उन पर लगे हुए गणक विद्या पत्रिका
 व पत्रिका पर उपलब्ध शिपस
 रिपोर्ट का अपरोक्त विद्या शिपस।
 वादीगण व प्रतिवादीगण लगे हुए वाद
 अ

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहक हुकम में
	<p>उक्त अधिनियम में संशोधन हेतु संशोधन के विषय संघीय संघीय विधेयक का वाद पत्र पेश किया नहीं है अतः इसी स्तर पर खारिज किया जाता है परन्तु डिफेंड का पत्र ही मिलान के लिए शुभान्त होना नकल में रक्त हो बाध तकनीक दायित्व दफ्तर है</p> <p style="text-align: right;">  (रणधीर सिंह) AMB उपसभ्य अधिकारी खण्डेला (सीकर) </p>	